अपील सूचना अधिकार संख्या 11/2019 (RCMS 2019/00032) डा. ईश्वर चंद मित्तल, श्रीराम हॉस्पीटल नई मण्डी, घडसाना, जिला श्रीगंगानगर – 335711 (राजस्थान) बनाम तहसीलदार (राजस्व), घडसाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.02.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2018 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत करके पांच बिन्दुओं की सूचनाएं चाही थी जो उसे सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, घडसाना द्वारा उन्हें सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की है और प्रार्थना की है कि उसे वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी श्री डा. ईश्वर चन्द मित्तल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.11.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, घड़साना से निम्न सूचनाएं चाही थी :

1. चक 1 एसटीआर पटवार हल्का 17 एमडी "ए" तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर की मु.नं. 82/47 का कि.नं. 25/0.038 है., मु.नं. 82/64 का कि.नं. 20 ता 22/0.343 है व मु.नं 82/56 का कि.नं. 1,2,8, वा 14 का 0.546 है. कुल 0.927 है. का राज रकबा कृषि भूमि का सर्वप्रथम अलॉटमैंट किस व्यक्ति को किया गया था, कानाम एवं पता
2. उपरोक्त भूमि का अलॉटमैंट जिस अधिकारी ने उस समय किया गया था, उसका नाम एवं पद का नाम
3. उपरोक्त राज रकबा कृषि भूमि अलॉटमेंट करने की तारीख
4. क्या राजस्व अलॉटमेंट के समय सतराना लिंक रोड बनी हुई थी या नहीं।
5. क्या उपरोक्त भूमि उस समय वन विभाग की थी या नहीं।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, घडसाना ने अपने पत्रांक भू.अ./2018/3340 दिनांक 21.12.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया है :

सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचना	उपलब्ध करवाई गई सूचना
1. चक 1 एसटीआर पटवार हल्का 17 एमडी "ए" तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर की मु.नं. 82/47 का कि.नं. 25/0.038 है., मु.नं. 82/64 का कि.नं. 20 ता 22/0.343 है व मु.नं 82/56 का कि.नं. 1,2,8, वा 14 का 0.546 है. कुल 0.927 है. का राज रकबा कृषि भूमि का सर्वप्रथम अलॉटमैंट किस व्यक्ति को किया गया था, कानाम एवं पता	चक 1 एसटीआर का ईन्तकाल नं. 69/06.04.2004 द्वारा उक्त रकबा बशीर अहमद पुत्र मोहम्मद अली जाति मुसलमान सा. सतराना के नाम स्मालपेच आवंटन दर्ज हुआ है।
2. उपरोक्त भूमि का अलॉटमैंट जिस अधिकारी ने उस समय किया गया था, उसका नाम एवं पद का नाम	आवंटन सम्बन्धी कार्य इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जाता है।
3. उपरोक्त राज रकबा कृषि भूमि अलॉटमेंट करने की तारीख	श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी व आवंटन अधिकारी रायसिंहनगर का आदेश क्रमांक 3976 दिनांक 21.08.1991
4. क्या राजस्व अलॉटमेंट के समय सतराना लिंक रोड बनी हुई थी या नहीं।	चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है।
5.क्या उपरोक्त भूमि उस समय वन विभाग की थी या नहीं।	चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बिन्दु संख्या 01 व 03 के सम्बन्ध में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बिन्दु संख्या 04 व 05 की सूचनाएं प्रश्नात्मक है और बिन्दु संख्या 02 का अभिलेख उनके कर्यालय में नहीं है क्योंकि आवंटन सम्बन्धी कार्य तहसीलदार द्वारा नहीं किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसप्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, घडसाना द्वारा जो उक्तानुसार दिया गया उत्तर सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। **इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।**

आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार घड़साना को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो यह आदेश आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर